



फर्द अहकाम

बनाम

यालय

या

था दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
10/4/23	<p>पत्रावली पेश हुई। पक्षकारक वकील उप. है। वास्ते बहक पत्रावली दिनांक 1/5/23 को पेश हो।</p> <p><i>इसके</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	
1/5/23	<p>पत्रावली आज दिनांक 1/5/23 से तलब होकर रायपुर केम. 3/2/2 में पेश हुयी। वादी एवं प्रतिवादी स्वयं वन जमीन संभरित/ अनुसंधित/ पत्रावली दिनांक 5/3/23 को पेश हो।</p> <p><i>इसके</i></p>	 <p>मि. वदी</p>
29/5/23	<p>पत्रावली आज वकील जार्जी के विज्ञो जा. पत्र पर तत्पक्ष की गई। वकील जार्जी व स्वयं जार्जी उप.। वकील जार्जी ने जा. पत्र पेश किया कि पक्षकारक के मध्य आपसी समझौते से राजीनामा हो गया है तथा अब 3 जा. पत्र 9(13) को आगे नहीं चलाया चाहते व छ. अ. वि. सं. में जा. पत्र पेश करने की छु. लेते हुए जा. पत्र 9(नियम 13) का विज्ञो करना चाहते हैं। अतः वकील जार्जी का विज्ञो जा. पत्र स्वीकार होने से जा. पत्र 9(नियम 13) का विज्ञो (आरिज) किया जाता है। पत्रावली वाद तहमील वाजिल दफ्तर हो।</p> <p><i>इसके</i></p> <p>उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)</p>	<p><i>जोषि-द</i></p> <p><i>गिरधारी</i></p>  <p><i>रामकेश्वर</i></p> <p><i>29/5/23</i></p>